भारत सरकार

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3780

दिनांक 16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: डेयरी क्षेत्र का विकास

3780. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2013-14 और 2018-19 के दौरान डेयरी क्षेत्र की विकास दर क्या थी और उक्त अवधि के दौरान उत्पादन किस सीमा तक मांग से कम था;

(ख) क्या 75 प्रतिशत से अधिक मवेशी वर्षा आच्छादित क्षेत्रों में स्थित है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसान पशु आहार, चारा और पेयजल जुटाने जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे है जिनकी लगातार कमी हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन चुनौतियों का सामना करने में किसानों के सहयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) समस्या के समाधान के लिए पशु आहार में डेयरी की सहकारिता और चारा विकास को उच्च प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक इस संबंध में क्या सफलता हासिल की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) देश में कुल दूध उत्पादन के संबंध में डेयरी क्षेत्र की विकास दर निम्नलिखित तालिका में दी गई है:.

	2013-14	2018-19*	2013 -14 से 2018-19 के दौरान विकास दर
अनुमानित दूध उत्पादन (मिलियन टन)	137.7	188.1	36.6%

* अनंतिम (मार्च *2018* से फरवरी *2019* की अवधि के दौरान आयोजित वार्षिक एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर)

इसके अलावा, देश भर में दूध उत्पादन की मांग का आकलन नहीं किया गया है।

(ख) 19वीं पशुधन संगणना-2012 के अनुसार, देश में गोपशु की कुल आबादी 190.90 मिलियन है जो देश के वर्षा आच्छादित क्षेत्रों समेत सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर करती है।

(ग) से (ड़) देश में आहार एवं चारे की कमी को दूर करने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 2014-15 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन को आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन के साथ कार्यान्वित कर रहा है। उप-मिशन के अंतर्गत, दुग्ध सहकारिताओं समेत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों को निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत आहार और चारा विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

i. गैर-वनीय बंजर भूमि/श्रेणी भूमि/चारागाह/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन
ii. वन भूमि से चारा उत्पादन
iii. चारा बीज खरीद/उत्पादन और वितरण
iv. हस्त चालित चाफ-कटर को शामिल करना
v. विद्युत चालित चाफ-कटर को शामिल करना
vi. कम क्षमता, ट्रैक्टर माउंटेबल चारा ब्लॉक निर्माण यूनिटें, हे बेलिंग मशीनों/रीपर/चारा हार्वेस्टर का वितरण
vii. साईलेज निर्माण यूनिटों की स्थापना
viii. बाई-पास प्रोटीन उत्पादन यूनिटों की स्थापना
ix. क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण/फीड पेलेटिंग/फीड विनिर्माण यूनिट की स्थापना।
x. आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण

*****